न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0पत्र संख्या - 08/2021
दायरा दिनांक - 17.02.2021
निर्णय दिनांक - 17-8-21

उनवान

1. झब्बु राम पुत्र भगवाना राम जाति गुर्जर निवासी धामला का बास पोस्ट हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर, राज.

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री महेश मीणा एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 09 रकबा 0.39 हैक्ट. जिसके साबिक खसरा नम्बर 3/1 रकबा 0.39 हैक्ट. वाके मौजा धामलाकाबास तन हाजीपुर तहसील बानसूर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 से बने है। जिसकी ताईद में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2053, 2041 मौजा धामलाकाबास तन हाजीपुर पेश है। विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है और बन्दोबस्त विभाग के राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी सम्वत 2060 बनाते समय विवादित आराजी के खाता संख्या 09 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में झब्बु राम पुत्र भगवाना राम के स्थान पर झम्बूराम पुत्र भगवानसहाय दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2053, 2041 के खाता संख्या 09 में प्रार्थी का नाम झब्बु राम पुत्र भगवाना राम दर्ज है जो सही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थी का नाम झम्बूराम पुत्र भगवानसहाय दर्ज कर दिया जिस गलत इन्द्राजात से प्रार्थी के अधिकारो का हनन हो रहा है जिसे दुरूस्त किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शुद्धि की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का नाम शुद्ध करते समय राज्य हित को ध्यान में रखते हुए विधि संगत आदेश पारित किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 09 रकबा 0.39 हैक्ट. वाके मौजा धामला का बास संवत 2060 में साबिक खसरा नम्बर 3/1 रकबा 0.39 हैक्ट. (1 बीघा 11 बिस्वा) से बने है। पूर्व जमाबंदी संवत 2041, 2053 में प्रार्थी का नाम झब्बु राम पुत्र भगवाना राम ही दर्ज है। परन्तु संवत 2060 की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी का नाम झम्बूराम पुत्र भगवानसहाय दर्ज कर दिया गया जो गलत है। जबकि पूर्व रिकार्ड के आधार पर ही प्रार्थी का सही नाम झब्बु राम पुत्र भगवाना राम दर्ज किया जाना चाहिए था। जो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2041, 2053 तथा आधार कार्ड की प्रति से साफ जाहिर है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 09 रकबा 0.39 हैक्ट. वाके मौजा धामला का बास तन हाजीपुर तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थी का नाम झम्बूराम पुत्र भगवान सहाय के स्थान पर झब्बु राम पुत्र भगवाना राम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 17-8-21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner